## बिहार सरकार
## (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
## कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
## (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014;

संख्या– FC/80/2021- 98

प्रेषक,

**अरविन्दर सिंह,** भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 08/02/2022

विषय– श्री अशोक यादव द्वारा शेखपुरा जिलान्तर्गत जलालपुर मौजा के खाता संख्या–125, 99, 131, खेसरा संख्या–476, 477, 485, 486, थाना संख्या–155, अंचल–शेखपुरा में बरबीघा–शेखपुरा पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0225 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत जलालपुर मौजा के खाता संख्या–125, 99, 131, खेसरा संख्या–476, 477, 485, 486, थाना संख्या–155, अंचल–शेखपुरा में बरबीघा–शेखपुरा पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0225 हे. वन भूमि अपयोजन हेतु श्री आशोक यादव, पिता–श्री राम स्वरूप यादव, ग्राम–बिहटा, पोस्ट–मन्दना, जिला–शेखपुरा का प्रस्ताव जाँचोपरांत वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के पत्रांक 514, दिनांक 13.08.2021 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के पत्रांक 828, दिनांक 08.09.2021 एवं पत्रांक 1023, दिनांक 23.11.2021 द्वारा कतिपय त्रुटियों के निराकरण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई एवं प्रयोक्ता एजेंसी से अनुरोध किया गया था, जिसका निराकरण प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 1810, दिनांक 06.10.2021 एवं पत्रांक 2118, दिनांक 01.12.2021 तथा प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.12.2021 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त निराकरण से संबंधित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

2. विषयांकित पथ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–921(ई.), दिनांक 28.08.1997 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है तथा भूमि का स्वामित्व, पथ निर्माण विभाग का है। रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC-106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.0225 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. अपयोजित होने वाली भूमि का GEO Referenced Map एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० तथा टोपोशीट नक्शा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

4. जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.12.2021 द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं NH द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई के प्रपत्र–II में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर 04 (चार) वृक्ष उपलब्ध है, जिनको Translocate किया जाना है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई द्वारा प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है।

7. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आस–पास कोई राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है।

8. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई के प्रपत्र–II में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।

(ii) 0.0225 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रू० 9,57,780/– प्रति हे० के दर से रू० 21,550/– (ईक्कीस हजार पाँच सौ पचास रूपये मात्र) प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।

(v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

**अनु0–यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

**ह०/–**

**(अरविन्दर सिंह)**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/80/2021- 98 दिनांक– 08/02/2022

प्रतिलिपि : श्री आशोक यादव, पिता–श्री राम स्वरूप यादव, ग्राम–बिहटा, पोस्ट–मन्दना, जिला–शेखपुरा, पिन–811105 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/22

**(अरविन्दर सिंह)**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

**श्री अशोक यादव द्वारा शेखपुरा जिलान्तर्गत जलालपुर मौजा के खाता संख्या–125, 99, 131, खेसरा संख्या–476, 477, 485, 486, थाना संख्या–155, अंचल–शेखपुरा में बरबीघा–शेखपुरा पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0225 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव का चेक लिस्ट–**

| क्र० सं० | विवरणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I | संलग्न। |
| 2 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking | संलग्न। |
| 3 | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं NH द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र | संलग्न। |
| 4 | टोपोशीट नक्शा | संलग्न। |
| 5 | जियो रेफेरेन्स मैप (सी.डी. के साथ) | संलग्न। |
| 6 | HPCL कम्पनी द्वारा निर्गत LOI पत्र | संलग्न। |
| 7 | वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II | संलग्न। |
| 8 | वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन | संलग्न। |
| 9 | स्थल गणना नक्सा। | संलग्न। |
| 10 | वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन | संलग्न। |
| 11 | वन संरक्षक, भागलपुर अचंल, भागलपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III | संलग्न। |
| 12 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में FRA 2006 प्रमाण–पत्र | संलग्न। |
| | नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV | संलग्न। |

8/2/22

**(अरविन्दर सिंह)**
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125